ग्रामीण क्षेत्र में आवंटित की गई भूमि के लिये अनुसूचित जातियों के लोगों से लिया जाने वाला मूल्य

6521. **श्री महा दीपक सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लोगों को मकान बनाने हेतु आवंटित की गई भूमि का मूल्य नहीं लिया जाता है ;

(ख) क्या ये लोग वास्तव में इतने गरीब है कि वे मूल्य का भुगतान नहीं कर सकते ; और

(ग) सरकार इनके प्रत्येक परिवार को इस उद्देश्य के लिए अनुदान के रूप में कितनी राशि देगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अधीन ग्रमीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों को गृहस्थल नियत करने के लिए कोई योजना नहीं है। अलबत्ता राज्य क्षेत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश, केरल, मैसूर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तामिलनाडु, दिल्ली तथा गोआ, दमन और दीव में अनुसूचित जातियों के लिए गृह स्थलों के हेतु विशिष्ट व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों के लोगों को मकानों के लिए जमीनें खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को 200 से 500 रुपए तक का उपदान दिया जाता है। उपदान की धनराशि एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोग साधारणतया गरीब होते हैं। इसलिए ग्रमीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के हेतु गृहस्थलों का नियतन करने के लिए उनसे कोई कीमत नहीं ली जाती है। इन लोगों को सरकारी भूमि मुफ्त दी जाती है। जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण करती है और तब इस प्रयोजन के लिए उसका बटवारा कर दिया जाता है। निर्माण और आवास विभाग की ग्रामीण आवास परियोजनाओं की योजना के अधीन भूमिहीन कृषि मजदूरों को, जिनमें अनुसूचित जातियों के लोग शामिल हैं, मकानों के लिए जमीनों का मुफ्त आवंटन करने के लिए व्यवस्था की गई है। अब तक इस कार्यक्रम के अधीन वास्तव में 19 6 गृह-स्थल दिए जा चुके हैं। यह योजना आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल मैसूर, गुजरात और पश्चिम बंगाल में चल रही है।

Construction of Lateral Road in Bihar

6522. SHRI N. K. SINHA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether a lateral road passing through the District of Purnia-Sharsa-Darbhanga, Muzaffarpur and Champaran in Bihar is being constructed to meet defence requirements of the country ;

(b) whether the same has been completed ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : (a) to (c). The lateral road passing through the district of Purnia, Darbhanga, Muzaffarpur and Champaran is being constructed to meet the various needs of the area including civil and non-civil requirements. This road does not pass through Sharsa District. The major portion of the road has already been completed. Some remaining items of work for completing the remaining portions of the road will also be completed by end of March, 1972, except the bridge over the River Gandak at Dumariaghat and its immediate approaches, which are expected to be completed by December, 1972.

Use of English as Medium of Instruction in Schools in NEFA

6523. SHRI C. C. GOHAIN : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Agency Councillors of